कम राजस्व वसूली में लापरवाही एवं बिना सूचना अनुपस्थित तीन करसंग्रहकों को नोटिस

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 5 अगस्त. नगर निगम की राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय ने राजस्व विभाग की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान वसूली एवं कार्य में लापरवाही पाए जाने पर एक कर संग्रहक को नोटिस तथा बिना सूचना अनुपस्थित पाये जाने पर दो कर संग्रहकों को नोटिस जारी करने के निर्देष दिए। नोडल अधिकारी ने बताया कि अभी तक कुल राजस्व वसूली 4 करोड 70 लाख रूपये आ चुकी है। जो कि गत वर्ष से अधिक है। इस साल दुकान पीढ़ी, चबूतरा किराये से पहली तिमाही में 1 करोड 18 लाख रूपये की वसूली हुई है। बैठक में एमआईसी सदस्य श्रीमती प्रेमलता धर्मेन्द्र जैन, अपर आयुक्त श्री प्रदीप सिंह तोमर, उपायुक्त श्री सुनील चौहान, नोडल अधिकारी राजस्व श्री अनूप लिटोरिया सहित सभी राजस्व कर संग्रहक उपस्थित थे।

नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय ने आज राजस्व वसूली की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान वसूली में लापरवाही बरतने पर राजस्व कर संग्रहक श्री जसवंत कुशवाहा को नोटिस जारी करने के निर्देष दिए। इसके साथ ही बिना सूचना अनुपस्थित श्री दिनेश जाटव एवं श्री रवि चौरसिया को भी नोटिस जारी करने के निर्देष दिए। इसके बाद नगर निगम की दुकान एवं पीढियों की समीक्षा करते हुए नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय ने कहा कि पिछले वर्ष 5 करोड रूपये की वसूली हुई थी, जबकि इस साल पहली तिमाही में महज 1 करोड 18 लाख रूपये की वसूली ही हुई है। कम वसूली पर नगर निगम आयुक्त ने कर संग्रहकों पर नाराजगी जाहिर की।

ट्रेड लाइसेंस की समीक्षा करते हुए नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय ने निर्देष दिए हैं कि जिन ट्रेड लाइसेंस का नवीनीकरण करना हैं उनके शत प्रतिशत लाइसेंस का नवीनीकरण करें। इसके साथ ही उन्होंने निर्देष दिए हैं कि ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए प्रति सप्ताह टारगेट तय किए जाएंगे।

नगर निगम आयुक्त ने रिक्त संपत्तियों की समीक्षा करते हुए निर्देष दिए हैं कि रिक्त सम्पत्तियों को लेकर उनके उपयोग हो यह संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करें। इसके लिए इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार कर दें, जिससे रिक्त सम्पत्तियों के लिए योजना तैयार की जा सके।

नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय ने लीज प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देष दिए हैं कि जिन स्थानों के लीज का नवीनीकरण किया जाना है, उनका शीघ्र नवीनीकरण किया जाए। इसके साथ ही लीज प्रकरणों में लापरवाही बरतने पर लिपिक श्री ललित खटके को नोटिस जारी करने के निर्देष दिए। इसके साथ ही सामुदायिक भवनों की जानकारी ली तथा निगम के गालव रेस्ट हाउस की मरम्मत के लिए जनकार्य विभाग को पत्र लिखने के निर्देष दिए।

निगम ने 3,800 से अधिक पौधे रोपे गए

ग्वालियर 5 अगस्त .नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय के निर्देशानुसार शहर को हरा-भरा और पर्यावरण-अनुकूल बनाने की दिशा में विशेष मुहिम के तहत आज 3800 से अधिक पौधों का रोपण किया गया ।नोडल अधिकारी पार्क श्री मुकेश बंसल ने बताया कि शहर में वृहद रूप से पौधा रोपण अभियान चलाया जा रहा हैं। जिसके तहत पार्कों, डिवाइडरों एवं खुली भूमि पर पौधारोपण किया जा रहा है। जिसके तहत आज अमृत हरित महाअभियान, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत लाल टिपारा पार्क क्षेत्र मे उद्यान पर्यवेक्षक श्री दिनेश कुशवाह, आईईसी टीम एवं सामाजिक संस्थओं के सहयोग से 2100 पौधों का पौधारोपण किया गया। साथ ही उद्यान पर्यवेक्षक श्री राजकुमार नागर एवं एवं उनकी टीम द्वारा सरस्वती नगर पार्क, द्वारकाधीश पार्क, निगम मुख्यालय पार्क एवं आलापुर डिवाइडर, शिरोल डिवाइडर, नगर निगम तरुण पुष्कर, राजमाता गोलंबर, मानसिंह चौराहा गोलंबर, शाहिद नरेंद्र राणा गोलंबर पर 1150 पौधों का रोपण किया गया। इसके साथ ही आनद नगर सेक्टर नं 3 विनेश्वर पार्क, ज्वाला देवी पार्क, स्टोर एरिया पार्क, दुर्गा पार्क आनंद नगर, बड़ा पार्क आनंद नगर, गिर्राज पार्क, सूरज नगर पार्क, हड्डिमिल पार्क, शास्वती पार्क सूरज नगर, गणेश पार्क एवं मछली मंडी आदि पार्कों में 450 पौधों का रोपण किया गया। साथ ही रामबाग कॉलोनी पार्क में 170 पौधे रोपे गए।

दतिया रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों का अस्थाई ठहराव

भारतीय रेल द्वारा ज्योति स्नान पर्व के अवसर पर यात्रियों/श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-ग्वालियर खंड के **दतिया रेलवे स्टेशन** पर दिनांक 08.08.2026 से 16.08.2026 तक निम्नलिखित रेलगाड़ियों को 02 मिनट का अस्थाई ठहराव प्रदान किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्र. सं.	गाड़ी संख्या एवं नाम	आवृत्ति
1	12405 भुसावल-हजरत निज़ामुद्दीन गोंडवाना एक्सप्रेस	सप्ताह में 02 दिन
2	12406 हजरत निज़ामुद्दीन-भुसावल गोंडवाना एक्सप्रेस	
3	12807 विशाखपट्टणम-हजरत निज़ामुद्दीन समता एक्सप्रेस	सप्ताह में 05 दिन
4	12808 हजरत निज़ामुद्दीन-विशाखपट्टणम समता एक्सप्रेस	

उत्तर मध्य रेलवे

@CPRONCR North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in 1811/26(AK)

नाम परिवर्तन सूचना

मैं **नगमा गौरी** (**NAGMA GAURI**) पत्नी श्री हनीफ खान सर्वसाधारण को सूचित करती हुँ कि मेरा पूर्व का नाम हफीजन बानों (**HAFIZAN BANO**) था 'जो मेरी भारतीय जीवन बीमा पॉलीसी में लिखा गया है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में नगमा गौरी पत्नी श्री हनीफ खां गौरी के नाम से जानी पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ एवं जाऊँगी। जो मेरे आधार कार्ड, बैंक खाते एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। नगमा गौरी एवं हफीजन बानों दोनों मेरे ही नाम है। अत: मेरे भारतीय जीवन बीमा पॉलीसी में मेरा नाम **हफीजन बानों** के स्थान पर **नगमा गौरी** लिखा एवं पढ़ा जावे। आम जन एवं सर्वजन सूचित हो।

पूर्व नाम हफीजन बानों
वर्तमान नाम नगमा गौरी
पत्नी श्री हनीफ खां गौरी पता :-72, हीरापुर,
रेलवे स्टेशन मार्ग श्योपुर, मध्यप्रदेश

नाम परिवर्तन सूचना

मैं **सती** (SATI) **पत्नी श्री टुन्डेराम** सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व का नाम शशी बाई (स्र-ास-।।द्ध द्धक्ष) था जो मेरी भारतीय जीवन बीमा पॉलीसी एवं बैंक खाते में लिखा गया है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में सती पत्नी श्री टुन्डेराम के नाम से जानी पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ एवं जाऊँगी। जो मेरे आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। **सती** एवं **शशी बाई** दोनों मेरे ही नाम है। अत: मेरे भारतीय जीवन बीगा पॉलीसी एवं बैंक खाते में मेरा नाम **शशी बाई** के स्थान पर **सती** लिखा एवं पढ़ा जावे। आम जन एवं सर्वजन सूचित हो।

पूर्व नाम शशी बाई
वर्तमान नाम सती (SATI) पत्नी श्री टुन्डेरान
पता :- ग्राम राजौदा, मुरैना म.प्र

आम सूचना

श्रीमती शशि राजपूत पत्नी श्री दिनेश सिंह के स्वत्य, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड जो कि ग्राम अकबरपुर खालसा, तहसील व जिला ग्वालियर (म.प्र.) में स्थित है जो नगर निगम ग्वालियर के वार्ड क्र.63 में स्थित है जिसका सर्व क्र. 368/1/क एवं 370/मिन-1क ग्राम अकबरपुर खालसा का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 591 पर्गफुट है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है :- पूर्व में अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम में रास्ता, उत्तार में अन्य की सम्पत्ति एवं दक्षिण में अन्य की सम्पत्ति है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्री राम सिंह पुत्र श्री पत्तू के स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री राम सिंह का स्वर्गवास होने पर उनके उत्तराधिकारी आरती. मीरा एवं कमला पुत्रियां श्री राम सिंह एवं श्री मोहन सिंह एवं श्री नन्दकिशोर पुत्रगण श्री राम सिंह उनकी सम्पत्ति के मालिक हुये एवं भू-राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम इंदाज कराया गया। श्री नन्दकिशोर द्वारा उक्त सम्पत्ति श्रीमती फूलवती पत्नी स्व. श्री शिव सिंह को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.एमपी 14259201701562492 दिनांक 06 10.2017 से विक्रय की गई। श्रीमती फुलवती द्वारा उक्त सम्पत्ति श्रीमती मंजू पत्नी श्री हेमंत को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र. एमपी 1425920181813247 दिनांक 19.12.2018 से विक्रय की गई। श्रीमती मंजू द्वारा उक्त सम्पत्ति श्रीमती शशि राजपूत पत्नी श्री दिनेश सिंह को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र. एमपी 21 आईजीआर 174120260100516780 दिनांक 04.05.2026 से विक्रय की गई। श्रीमती शशि राजपूत द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान गृहम हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं उक्त सर्दे क्रमांकों के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ला में किसी प्रकार का हित-निहित होने अथवा किसी प्रकार की आपत्ति होने पर मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति मेरे पक्षकार के विरूद्व प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृप्या सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. भवन क्र.52, कैलाश विहार,
फैडरल बैंक के पास,
सिटी सेंटर, ग्वालियर (म.प्र.)
मो.नं. 98276-72710

नाम परिवर्तन सूचना

मैं सुनिल शर्मा (**sunil sharma**) पिता स्व. श्री विनोद शर्मा सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरी पुत्री का पूर्व का नाम हिमांशी शर्मा (**Himanshi Sharma**) था जो उसके आधर कार्ड मे लिखा गया है। जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मेरी पुत्री का मनू शर्मा पिता श्री सुनील शर्मा के नाम से जानी पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ एवं जाऊँगी। जो उसके शौणिक प्रमाण पत्रो में लिखा गया है। हिमांशी शर्मा एवं मनू शर्मा दोनों मेरे ही पुत्री के नाम है। अत: मेरे पुत्री के आधारकार्ड में उसका नाम **हिमांशी शर्मा** के स्थान पर मनू शर्मा लिखा एवं पढ़ा जावे। आम जन एवं सर्वजन सूचित हो।

पूर्व नाम : हिमांशी शर्मा
वर्तमान नाम : ननू शर्मा
पुत्री श्री सुनील शर्मा

सूचनार्थ
सुनील शर्मा पिता स्व.
श्री विनोदशर्मा किला रोड. सबलगढ, लश्कर
ग्वालियर म.प्र. (474001)

नाम परिवर्तन सूचना

मैं DEEPESH MALVIYA शपथ करता हूँ कि मेरे पूर्व के पासपोर्ट क्र. N6809439 में मेरा नाम DEEPESH KUMAR MALVIYA दर्ज है जो कि गलत है, जबकि मेरे अन्य दस्तावेज (आधार कार्ड, पेनकार्ड) आदि में मेरा नाम DEEPESH MALVIYA दर्ज है जो कि सत्य व सही है। अत: वर्तमान में मुझे मेरे परिवर्तित नाम DEEPESH MALVIYA से ही जाना पहचाना जाता है। भविष्य में भी मुझे DEEPESH MALVIYA के नाम से ही जाना जावें।

शपथकर्ता :
DEEPESH MALVIYA
C/O: Vipin Kumar Malviya, Flat No A-611
Block A, 6 Floor Sangam Avenue, Behind New
High Court, Alkapuri, Gwalior (MP)

CHANGE OF NAME

I, **AJEEM KHAN** S/o **RAHEEM KHAN** R/o Gram-Doni Math, Post- Maina, Tehseel- Chinor, Maina, Po: Gharsondi, Dist: Gwalior, Madhya Pradesh- 475110, have changed the name of my minor Son **MOMIN** Aged 9 Years and she shall hereafter be known as **ANASH KHAN**. It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Vide Affidavit No. 78AA 089787 Date 05/08/2026

नाम परिवर्तन सूचना

मैं **याषू चौहान** YASHU CHAUHAN पुत्री **Army Service No. 15468894A, Rank- L/NK, भूपेन्द्र सिंह Bhoopendra Singh** निवासी- ग्राम व पोस्ट- जिरौली कलां, तहसील- सिकंदरा राव, जिला- हाथरस, राज्य- उत्तर प्रदेष पिन- 204215 सूचित करती हूँ कि मेरे पिता के आर्मी सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम YASHU CHAUHAN त्रुटिवष दर्ज हो गया है जबकि मेरे आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में नाम YATI SINGH दर्ज है जो कि सत्य व सही है. अत: मेरे पिता के आर्मी सर्विस रिकॉर्ड में मेरा नाम **YASHU CHAUHAN** के स्थान पर **YATI SINGH** दर्ज किया जावे। **सत्यापित ऐफिडेविट नं. CB 846847 दिनांक**

नाम परिवर्तन सूचना

मैं अशोक कुमार मिश्रा पुत्र स्व. श्री राज नारायण मिश्रा निवासी- मकान नं. 84, कोतवाली संतर, मुरार ग्वालियर (म.प्र.) शपथ करता हूं कि पूर्व में मेरा नाम **अशोक कुमार** था, अतः अब मैंने अपना नाम परिवर्तित कर **अशोक कुमार मिश्रा** करा लिया है जो मेरे दस्तावेज- आधार कार्ड, पैनकार्ड आदि में भी दर्ज है। अतः भविष्य में मुझे मेरे परिवर्तित नाम **अशोक कुमार मिश्रा** के नाम से ही जाना-पहचाना जावे। उक्त तथ्य की सत्यता में **ई-स्टाम्प कोड 01012123072026013315 दिनांक 23/07/2026** प्रस्तुत है।

CHANGE OF NAME

I, **MAHA BUBI Mother of Army Service No. 15155088W, Rank- BHM (GNR), Name- DAVALASAHAB VASTAD** Unit 81/12 Med Regt C/o 56 APO have changed my name from **MAHA BUBI** to **MABUBI RAJESAB VASTAD** due to mismatch in my Son's Army Service Record.

Vide Affidavit No. CC 135279 Dated 24/06/2026 before High Court, Gwalior M.P.

CHANGE OF NAME

I, **DEVKU DEVI Mother of Army Service No. JC 290890N, Rank- SUB, Name- SOM DUTT** Unit 12 Med Regt C/o 56 APO have changed my name from **DEVKU DEVI** to **DEBKU DEVI** due to mismatch in my Son's Army Service Record.

Vide Affidavit No. CC 019585 Dated 04/08/2026 before High Court, Gwalior M.P.

आम सूचना

श्रीमती सुषमा पत्नी श्री बबलू सिंह उर्फ श्री गजेन्द्र सिंह तोमर के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड, स्थित काली माता मंदिर वाली गली, आबादी एरिया, माहौर चौराहा से नंदे का पुरा रोड, ग्राम बड़ीखर, तहसील मुरैना नगर व जिला मुरैना (म.प्र.) है जो नगर पालिका निगम मुरैना वार्ड क्र.28 (इंद्रा गांधी वार्ड) में स्थित है जो भूमि सर्व क्र.1000/1 ग्राम बडीखर का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 640 वर्गफुट है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है-पूर्व में रास्ता 20 फुट चौड़ा, पश्चिम में भवन नीरज तोमर, उत्तर में सम्पत्ति स्वामी एवं दक्षिण में-सम्पत्ति स्वामी है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्री लक्ष्मण सिंह, श्री जगदीश, श्री राजेन्द्र एवं श्री संजीव पुत्रगण श्री भूप सिंह के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री जगदीश द्वारा उक्त सम्पत्ति श्रीमती सुषमा पत्नी श्री बबलू सिंह उर्फ श्री गजेन्द्र सिंह तोमर को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र. एमपी 27 आईजीआर 17912025ए101003193 दिनांक 07.11.2025 से विक्रय की गई। श्रीमती सुषमा द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान मैरार्स चोलामण्डलम इन्वेस्टमेन्ट एण्ड फायनेंस कं. लि. (सी.आई.एफ.सी. एल.) ग्वालियर के समक्ष बंवक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं उक्त सर्वे क्रमांक के अन्य सहस्वानियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार का हित-निहित होने अथवा किसी प्रकार की आपत्ति होने पर मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति मेरे पक्षकार के विरुद्ध प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृष्या सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. भवन क्र.52, कैलाश विहार,
फैडरल बैंक के पास,
सिटी सेंटर, ग्वालियर (म.प्र.)
मो.नं. 98276-72710

आम सूचना

श्रीमती सरोज भदौरिया पत्नी श्री जितेन्द्र सिंह भदौरिया के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भवन स्थित ग्राम महाराजपुरा रमन्ना, परगना व जिला ग्वालियर (म.प्र.) में है जो नगर निगम ग्वालियर है जो भूमि सर्वे क्र.199 ग्राम महाराजपुरा रमन्ना का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 1770 वर्गफुट है और उक्त सम्पत्ति की चर्तुसीमा निम्न प्रकार हैं-पूर्व-सड़क निगम, पश्चिम मकान श्री कुशवाह जी, उत्तर सम्पत्ति ग्रीन वुड पब्लिक स्कूल एवं दक्षिण- प्लाट तोमर जी है। उक्त सम्पत्ति की भूमि पूर्व में श्री शिवप्रताप पुत्र श्री उम्मेदसिंह आदि जयें मुख्यारआम श्री राजेश झा पुत्र श्री रामस्वरूप झा द्वारा श्री राजवीरसिंह पुत्र श्री यदुवीरसिंह को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.3012 दिनांक 22.01.1996 से विक्रय की गई थी। श्री राजवीरसिंह द्वारा उक्त सम्पत्ति की भूमि श्री सुनीलकान्त शर्मा पुत्र श्री हरीशंकर शर्मा को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.231 दिनांक 29.04.2003 से विक्रय की गई थी। श्री सुनीलकान्त शर्मा द्वारा उक्त सम्पत्ति की भूमि श्रीमती सरोज भदौरिया पत्नी श्री जितेन्द्र सिंह भदौरिया को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.4437 दिनांक 09.03.2006 से विक्रय की गई थी। उक्त सम्पत्ति के वर्तमान स्वामी द्वारा ऐसा अवगत कराया गया है कि एवं उक्त विक्रय विलेख दिनांक 22.01.1996 की मूलप्रति गुम हो गई है। श्रीमती सरोज भदौरिया द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम, बैंक अथवा निकाय को उक्त विक्रय विलेख दिनांक 22.01.1996 की मूलप्रति प्राप्त हों तो वह मूल दस्तावेज प्रदान करें अथवा उसके सम्बन्ध में कोई हित रखते हों अथवा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृप्या सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. भवन क्र.52, कैलाश विहार,
फैडरल बैंक के पास,
सिटी सेंटर, ग्वालियर (म.प्र.)
मो.नं. 98276-72710

सम्बन्ध विच्छेद आम सूचना

सिकन्दर सिंह लोधी पुत्र श्री रामचरण लोधी, आयु-66 वर्ष, ग्राम व पोस्ट शिलानगर, तहसील करैरा, थाना- करैरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.), आधार क्रमांक- 563877787819 मैं अपने पक्षकार सिकन्दर सिंह लोधी पुत्र श्री रामचरण लोधी, आयु-66 वर्ष, ग्राम व पोस्ट शिलानगर, तहसील करैरा, थाना- करैरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.), आधार क्रमांक-563877787819 की ओर से अधिकृत होकर उनके द्वारा दी गई जानकारी एवं निर्देशानुसार सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पक्षकार का मझला पुत्र धर्मेन्द्र लोधी पुत्र श्री सिकन्दर लोधी, निवासी-ग्राम व पोस्ट शिलानगर, तहसील करैरा, थाना- करैरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.), विगत 4 साल से गलत संगत में पड़ गया है और जो अक्सर बाहर ही रहता है तथा मेरे पक्षकार एवं उनके परिवार के अन्य सदस्यों के काफी समझाने के बावजूद भी किसी की कोई बात नहीं मानता है तथा समझाने पर लड़ाई-झगड़ा करने पर आमादा हो जाता है। इस कारण से उसके उपरोक्त व्यवहार से दुखित होकर मेरे पक्षकार द्वारा अपने मझले पुत्र धर्मेन्द्र लोधी से अपने सम्बन्ध समाप्त व हमारी सम्पूर्ण चल-अचल सम्पत्ति में से हमेशा-हमेशा के लिए बेदखल कर रहे हैं। इसलिए मेरे पक्षकार मझले पुत्र धर्मेन्द्र लोधी से कोई भी व्यक्ति, बैंक, निकाय, निगम अथवा वित्तीय संस्था में पक्षकार अथवा उसके परिवार के अन्य व्यक्तियों की शाख पर किसी प्रकार का कोई लेन-देन व सम्बन्ध ना करें और यदि इस आम सूचना के प्रकाशन के बाद उससे किसी प्रकार का लेन-देन व सम्बन्ध किया जाता है, अथवा उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई आपराधिक कृत्य किया जाता है, अथवा अपराध घटित किया जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी, जिसमें मेरे पक्षकार अथवा उसके अन्य परिजनों व रिश्तेदारों का कोई सम्बन्ध नहीं होगा, और ना ही वे ऐसे किसी प्रकार के कृत्य के लिए जिम्मेदार होंगे। एतद् सूचित हों। दिनांक 05.08.2026

प्रेषक: **एस.एस. परमार (एडवोकेट)**
कार्या.- कांच मिल, बड़ी गेट, बिरला नगर, ग्वालियर (म.प्र.), मो. 9981384791

आम सूचना

श्री बन्टी कुशवाह पुत्र श्री लाल किशोरी कुशवाह के त्वत्य, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड स्थित ग्राम अकबरपुर मुजप्ता, तहसील व जिला ग्वालियर (म.प्र.) में है जो नगर निगम ग्वालियर वार्ड क्र.05 में स्थित है जो भूमि सर्व क्र.235, 237, 238, 239, 240, 241 एवं 242 ग्राम अकबरपुर मुजप्ता का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 805 वर्गफुट है और जिसकी चर्तुसीमा निम्न प्रकार है-पूर्व में-भूखण्ड विक्रेता, पश्चिम में रास्ता 18 फुट चौडा, उत्तर में भूखण्ड विक्रेता एवं दक्षिण में-भूखण्ड बाथम एवं मुकेश कुशवाह है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्री मानसिंह श्री हरीसिंह पुत्रगण श्री पन्नालाल, राधा, रूकमणि पुत्रीगण श्री पन्नालाल के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री मानसिंह कुशवाह एवं श्री हरीसिंह कुशवाह द्वारा उक्त सम्पत्ति श्री बन्टी कुशवाह पुत्र श्री लाल किशोरी कुशवाह को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र. एमपी 426020210 1964221 दिनांक 17:11:2021 से विक्रय की गई थी। श्री बन्टी कुशवाह द्वारा उक्त सम्पत्ति को विक्रय किये जाने हेतु श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी श्री राकेश सिंह के पक्ष में एक लिखतम विक्रय अनुबन्ध पत्र सम्पादित किया जा चुका है एवं रजिस्टर्ड विक्रय विलेख सम्पादित किया जाना शेष है। श्रीमती उर्मिला देवी द्वारा उक्त सम्पत्ति को क्रय किये जाने हेतु मेरे पक्षकार टाटा कंपीटल हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति फार्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं उक्त सर्वे क्रमाकों के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्य स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त हीते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋष्ण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृप्या सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. भवन क्र.52, कैलाश विहार,
फैडरल बैंक के पास,
सिटी सेंटर, ग्वालियर (म.प्र.)
मो.नं. 98276-72710

आम सूचना

श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड क्र. 389, स्थित पी.एम.जे.एस रोड से दूर, ग्राम भौंडेरी, तहसील एवं जिला मुरैना (म.प्र.) है जो नगर पालिका निगम मुरैना वार्ड क्र. 43 (राजगुरू भीडेरी) में स्थित है जो भूमि सर्वे क्र.30 ग्राम भाँडेरी का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 800 वर्गफुट है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है :- पूर्व में भूखण्ड क्र.390, पश्चिम में भूखण्ड क्र.388, उत्तर में रास्ता 20 फुट चौड़ा एवं दक्षिण में भूखण्ड क्र.392 है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्ग अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्री पृथ्वीराम पुत्र श्री जनबदे के स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री पृथ्वीराम का स्वर्गवास हो जाने के उपरांत, उनके उत्तराधिकारी श्री मनोज, श्री महेन्द्र, श्री रामरोयक, श्री राकेश पुत्रगण स्व. श्री पृथ्वीराम, मुन्नी पुत्री स्व. श्री पृथ्वीराम, श्रीमती छोटीबाई पत्नी स्व. श्री पृथ्वीराम उनकी सम्पत्ति के मालिक हुये एवं भू-राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम इंद्राज कराया गया। श्रीमती छोटीबाई द्वारा उक्त सम्पत्ति श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र. एमपी25792022ए1455406 दिनांक 02.05.2022 से विक्रय की गई। श्रीमती मुन्नी द्वारा उक्त सम्पत्ति को क्रय किये जाने हेतु मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान सेन्ट्रम हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं श्री पृथ्वीराम के अन्य उत्तराधिकारियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व त्वामित्त्व एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृप्या सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. भवन क्र.52, कैलाश विहार,
फैडरल बैंक के पास,
सिटी सेंटर, ग्वालियर (म.प्र.)
मो.नं. 98276-72710

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

सार्वजनिक सूचना
स्वर्ण नीलामी सह निमंत्रण सूचना

नीचे उल्लिखित उधारकताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त उधारकताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (बैंक) से सोने के आभूषण गिरवी रखकर ऋण लिया था और बार-बार याद दिलाने और नोटिस भेजने के बावजूद, वे निर्धारित समय के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं। तदनुसार, बैंक अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, बकाया राशि की वसूली के लिए 08 सितम्बर 2026 से 10 सितम्बर 2026 तक गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी आयोजित करेगा। उधारकताओं को सूचित किया जाता है कि निरीक्षण/बोली की तिथि से पहले लागू ब्याज, शुल्क और खर्चों सहित पूरी बकाया राशि का भुगतान करने का यह अंतिम अवसर है, अन्यथा नियामक द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों को नीलामी के माध्यम से बेच दिया जाएगा।

ऋण खाता संख्या	ऋण लेने वाले का नाम	शाखा का नाम
179196946	अंकित जाट	दतिया एमबीएल
177455210	सौरभ सिंह यादव	दतिया एमबीएल
179165050	अंकित जाट	दतिया एमबीएल

नीलामी की स्थिति में यदि कोई अधिशेष राशि प्राप्त होती है, तो वह संबंधित उधारकर्ता को वापस कर दी जाएगी। नीलामी के बाद यदि कोई घाटा/कमी रह जाती है, तो शेष राशि उचित कानूनी कार्यवाही के माध्यम से उधारकर्ता से वसूल की जाएगी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी खाते को नीलामी से हटाने का अधिकार रखता है। इसके अलावा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के, अपने विवेकानुसार नीलामी कार्यक्रम में संशोधन करने या उसे आगे की तिथि तक स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। नीलामी का आयोजन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सूचीबद्ध नीलामी सेवा प्रदाताओं, मेसर्स श्रीराम ऑटो मॉल इंडिया लिमिटेड द्वारा सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक भौतिक रूप से किया जाएगा। यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो नीलामी से संबंधित सभी शर्तें उनके नामित व्यक्ति/कानूनी उत्तराधिकारी पर लागू होंगी।

नीलामी की शर्तें एवं नियम :
1) संबंधित सोने के आभूषणों की बिक्री "जैसा है, जहाँ है", "जैसा है, जो है" और "जो भी उपलब्ध है" के आधार पर होगी।
2) इच्छुक बोलीदाताओं को बैंक के अधिकृत नीलामी सेवा प्रदाता के साथ पंजीकरण करना होगा और केवाईसी संबंधी आवश्यकताओं का पालन करना होगा।
3) बोली जमा करने से पहले आभूषणों और उनकी विशिष्टताओं का निरीक्षण करना और उनसे संतुष्ट होना बोलीदाताओं की जिम्मेदारी होगी। बोलीदाता शाखा प्रबंधक से परामर्श करके आभूषणों का निरीक्षण कर सकते हैं।
4) उच्चतम बोली बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा पुष्टि के अधीन होगी।
5) सफल बोलीदाता को निर्धारित समय के भीतर पूरी बिक्री राशि जमा करनी होगी, अन्यथा जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी।
6) एक बार बेचे गए सोने के पाउच किसी भी परिस्थिति में विक्रेता को वापस नहीं किए जा सकते हैं और विजेता बोलीदाता/खरीददार द्वारा भौतिक रूप से सौंपे जाने के बाद विक्रेता किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
7) बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि को बिना किसी पूर्व सूचना या कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने या नीलामी को रद्द/स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।
8) बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है।

दिनांक: 06.08.2026
स्थान: मध्यप्रदेश

एसडी/-
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के
अधिकृत अधिकारी

ICAR-National Research Centre for Grapes
Manjiri Farm, P B, No 3, Solapur Rd, Pune, Maharashtra 412308

Invitation for Bids

Tender Publication Date : 04 August 2026
Loan No. and Title : Loan 4411-IND/ Building India's Clean Plant Program
Contract No. and Title : CPC1-CW01/ Design and Build containment facility for grapes - CPC 1, Pune
Tender ID : 2026_DAREA_920526_1
Deadline for Submission of Bids : 16 September 2026

1. The Government of India has received financing from the Asian Development Bank (ADB) toward the cost of Building India's Clean Plant Program. Part of this financing will be used for payments under the Contract named above. Bidding is open to Bidders from eligible source countries of ADB.
2. The Principal Scientist (Plant Pathology), ICAR- National Research Centre for Grapes, Pune ("the Employer") invites sealed bids from eligible Bidders for the construction and completion of Design and Build containment facility for grapes – CPC 1, Pune including comprehensive Operation and Maintenance for a period of five (5) years from date of handover ("the Works")."
3. Open competitive bidding will be conducted in accordance with ADB's Single-Stage: Two-Envelope bidding procedure and is open to all Bidders from eligible countries as described in the Bidding Document.
4. Only eligible Bidders with the following key qualifications defined in the Bidding Document may participate in this bidding:
   - Minimum average annual turnover of **INR 507 million (USD 5.33 M)** within the last three (3) years;
   - Participation as a contractor, JV partner, or Subcontractor in **at least one (1) contract ≥ INR 304 million (USD 3.2 M), OR at least two (2) contracts each ≥ INR 190 million (USD 2.0 M),** satisfactorily completed within the last five (5) years;
   - Participation in at least one (1) contract for design and construction of a controlled-environment plant containment/quarantine facility ≥ 400 sqm, operational within the last ten (10) years.

   For the complete eligibility and qualification requirements, Bidders should refer to the Bidding Document.
5. To obtain further information and inspect the bidding documents, Bidders should contact:

   The Principal Scientist (Plant Pathology)
   ICAR-National Research Centre For Grapes,
   P.B. No. 3, P.O. Manjari Farm, Solapur Road,
   Pune-412307, Maharashtra, India
   Telephone 020 2695 6000
   Web: https://nrcgrapes.icar.gov.in/
   Email: sujoyta@gmail.com
6. To purchase the Bidding Document in English, eligible Bidders should
   - register and download the bidding documents from Employer's procurement portal **https://eprocure.gov.in/eprocure/app**
   - The Employer shall not be held liable for any information not received by the Bidder, and it is the Bidder's responsibility to regularly check the website for the latest information related to this invitation for bids.
   - The Bidding Documents are available for free download from the Employer's e-procurement portal. No fee is payable.
7. Deliver your bid
   - Bidders shall submit their Bids electronically only through the public procurement website **https://eprocure.gov.in/eprocure/app** on or before the deadline: Date: 16 September 2026 Time: 11:00 hours (IST)
   - together with a Bid Security as described in the Bidding Document

   Technical Bids will be opened publicly online on: Date: 16 September 2026, Time: 11:15 hours (IST), via the e-procurement portal https://eprocure.gov.in/eprocure/app and at: ICAR-National Research Centre for Grapes, P.B. No. 3, P.O. Manjari Farm, Solapur Road, Pune - 412307. Price Bids will be opened at a date and time to be notified to qualifying bidders following Technical Bid evaluation.
8. This Invitation for Bid is also published on the following websites

   https://eprocure.gov.in/eprocure/app
   https://nhb.gov.in/
   https://www.nrcgrapes.in/
   https://www.adb.org/projects/57041-001/main

s/d
Administrative Officer

मुख्य बाजारों से हटाया अस्थाई अतिक्रमण

ग्वालियर मदाखलत अधिकारी श्री रवि कुमार कोरी के निर्देशन में हजीरा चौराहा, किलागेट रोड़, इंटक मैदान के बाहर रोड़, चार शहर का नाका रोड़ सहित आदि स्थानों पर खडे यातायात में बाधक हाथ ठेलों, सडक पर रखे सामानों एवं अन्य अस्थाई अतिक्रमण को हटवाकर अवागमन मार्ग क्लियर करवाया गया। इस कार्यवाही के दौरान मदाखलत निरीक्षक श्रीकान्त सेन सहित मदाखलत अमला मौजूद रहा। इसके साथ ही मदाखलत अधिकारी सतेंद्र सिंह भदौरिया के निर्देशन में महाराज बाड़ा अंतर्गत सुभाष मार्केट, नजरबाग मार्केट, टोपी बाजार, छापाखाना, हेमू चौक, एसबीआई बैंक के मुख्य मार्ग व फुटपाथ क्लियर करवाया गया।

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति **क्षेत्र क्र 07 वार्ड क्रं 02, स्थान बी-31, सूर्य नगर शब्द प्रताप आश्रम ग्वा0** मे स्थित है जो कि **दिनेश शर्मा/स्व. राजकुमार शर्मा** नाम से नगर निगम मे **आई डी क्रं** पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल **1280 वर्गफुट** है। उक्त संपत्ति को **रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र क्रं एमपी142602023ए12565947 दिनांक 16.11.2023** द्व ारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र रैन बसेरा, **क्षे.क्र 07,** पर दिनांक को किया गया है। जिसका **आवेदन कार्य क्रं** प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता-
श्रीमती मंजूलता त्रिपाठी/प्रवीण त्रिपाठी
पता-सूर्य नगर शब्द प्रताप आश्रम ग्वा0(म.प्र.)
विज्ञप्ति जारी दिनांक-05.08.2026

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति **क्षेत्र क्र 08 वार्ड क्रं 25, स्थान राम प्रसाद कॉलोनी नया संतर मुरार ग्वा0** मे स्थित है जो कि **श्रीमती लीला दुबे/तोताराम दुबे** नाम से नगर निगम मे **आई डी क्रं 9000293151** पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल **750 वर्गफुट** है। उक्त संपत्ति को **रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र क्रं** द्व ारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र टप्पा तहसील मुरार, **क्षे.क्र 08,** पर दिनांक 28.07.2026 को किया गया है। जिसका **आवेदन कार्य क्रं 66/2010/76850/76947** प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता-
रतन शर्मा/रामेश्वर दयाल शर्मा,
श्रीमती रानी शर्मा/रतन शर्मा
पता-रामप्रसाद कॉलोनी नया संतर मुरार ग्वा0(म.प्र.), मो0-9074528991
विज्ञप्ति जारी दिनांक-05.08.2026

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति **क्षेत्र क्र 08 वार्ड क्रं 18, स्थान एफ.एल-613, दीनदयाल नगर ग्वा0** मे स्थित है जो कि **एम.पी हाउसिंग बोर्ड** नाम से नगर निगम मे **आई डी क्रं 1000122481** पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल **406.7 वर्गफुट** है। उक्त संपत्ति को **रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र क्रं आर-20012600100049** द्व ारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र डी.डी नगर, **क्षे.क्र 08,** पर दिनांक को किया गया है। जिसका **आवेदन कार्य क्रं 65/2010/49512/49384** प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता-
शिवराज सिंह बघेल/राजकुमार बघेल
पता-दीनदयाल नगर ग्वा0(म.प्र.)
मो0-6264756197
विज्ञप्ति जारी दिनांक-05.08.2026

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति **क्षेत्र क्र 15 वार्ड क्रं 34, स्थान कमल सिंह का बाग ग्वा0** मे स्थित है जो कि **फोदू/मुलुआ** नाम से नगर निगम मे **आई डी क्रं 1000108998** पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 941 **वर्गफुट** है। उक्त संपत्ति को **रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र क्रं** द्व ारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र गांधी मार्केट, **क्षे.क्र 15,** पर दिनांक को किया गया है। जिसका **आवेदन कार्य क्रं** प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता-
रामप्रसाद वर्मन/श्री रामदयाल
पता-कमल सिंह का बाग ग्वा0(म.प्र.)
विज्ञप्ति जारी दिनांक-05.08.2026